कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, चम्पावत।

कार्यालय आदेश संख्याः 20 /2025,

दिनांकः 29 जनवरी, 2025.

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जिला न्यायालयों के प्रयोजन हेतु जारी वर्ष–2025 के कैलेण्डर में उल्लेखित टिप्पणी एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र (C.L.) संख्याः 68/Xe-4, दिनांकितः 26 जुलाई, 1980 में किये गये प्रावधानों के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को जिला मजिस्ट्रेट, चम्पावत के परामर्श से जिला न्यायालय चम्पावत हेतु तीन स्थानीय अवकाश घोषित करने की अधिकारिता प्रदान की गई है।

उक्त के क्रम में जनपद के अन्तर्गत स्थानीय लोक महत्व व परम्पराओं के अनुसार मनाये जाने वाले त्यौहारों के दृष्टिगत जिला न्यायालय, चम्पावत में 03 स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, चम्पावत से उनका परामर्श चाहा गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्र संख्याः 1845/पन्द्रह–रा.स./2024–25, दिनांकितः 29 जनवरी, 2025 से प्रस्तावित स्थानीय अवकाशों हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई है।

अतः जिलाधिकारी, चम्पावत से सम्यक परामर्श उपरान्त एवं वादकारियों के हितों को सर्वोच्च दृष्टिगत रखते हुये कैलेण्डर वर्ष–2025 हेतु जिला न्यायालय, चम्पावत में निम्न वर्णित तिथियों में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैंः–

क्र0	दिनांक, माह एवं वर्ष	सप्ताह का दिन	स्थानीय अवकाश का प्रयोजन
1.	12 मार्च, 2025	बुधवार	स्थानीय होली–टीका
2.	15 सितम्बर, 2025	सोमवार	नवमी श्राद्ध
3.	18 अक्टूबर, 2025	शनिवार	धनतेरस

तदनुसार समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

दिनाँकः 29 जनवरी, 2025

29/01/25

(अनुज कुमार संगल)
जनपद न्यायाधीश,
चम्पावत।

कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, चम्पावत।

पत्राँकः 168 /एक–20–2021, दिनाँकः 29 जनवरी, 2025।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ।

2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।
4. अध्यक्ष, जिला बार संघ, चम्पावत।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
6. सिविल जज (सी0 डि0), चम्पावत।
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत।
8. सिविल जज (जू0 डि0), चम्पावत।
9. सिविल जज (जू0 डि0), टनकपुर।
10. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर।
11. प्रभारी अधिकारी नजारत, जजशिप चम्पावत।
12. प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार, प्रतिलिपि अनुभाग।
13. सदर मुन्सरिम, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चम्पावत।
14. सिस्टम सहायक को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
15. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
16. सम्बन्धित पत्रावली एक–02–2010 में अनुरक्षण हेतु।
17. आदेश की रक्षक पत्रावली एक–20–2021 में अनुरक्षण हेतु।

आदेशानुसार अग्रसारित–

29.01.2025

कृते0 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जजशिप चम्पावत।